दिनांक 09.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 10/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कानून–व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 09.06.2024 को यूपी–112 के द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून–व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा विगत लोकसभा निर्वाचन निर्बाध व सकुशल सम्पन्न कराने में अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रशंसा की गयी तथा आवाहन किया गया कि नियमित पुलिसिंग के कार्यो यथा विवेचना, अपराध नियन्त्रण, अभियोजन, जन सुनवाई, बीट पुलसिंग प्रणाली, आपरेशन कन्विक्शन, आपरेशन त्रिनेत्र, मिशन शक्ति आदि पर और अधिक ध्यान दिया जाये तथा लम्बित छूटे मामलो को संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण कराया जाये, साथ ही साथ मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये :–

- भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 01 जुलाई से लागू होने वाली नयी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने हेतु प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरणों की खरीदारी तथा व्यापक प्रचार–प्रसार पर ध्यान दिया जाये। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से निर्गत सभी कार्य योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- नये माफियाओं तथा पेशेवर अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में पंजीकृत माफिया गैंग के सभी सदस्यों के विरूद्ध सफल अभियोजन, सम्पत्ति जब्तीकरण व अन्य विधिक कार्यवाही की जाये।

- **महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धी अपराधों** को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए निर्धारित समयावधि में विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।
- महिला सुरक्षा हेतु महिला बीट/महिला हेल्प डेस्क आदि के कार्यों की समीक्षा कर पुलिस बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- **आगामी त्यौहारों/धार्मिक आयोजनों** के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी कर ली जाये तथा धर्मगुरूओं, आयोजको, शान्ति समितियों, सभ्रान्त नागरिकों, डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
- क्षेत्र में पुलिस विजविलिटी बनाये रखने तथा **कम्युनिटी पुलिसिंग** की संकल्पना को साकार करने हेतु नियमित रूप से **पैदल गश्त (Foot Petroling)** की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- उ0प्र0 एसटीएफ द्वारा विकसित त्रिनेत्र ऐप 2.0 लागू हो चुका है, जनपदीय पुलिस के सभी अधिकारी टूल्स की जानकारी रखें तथा उसका आवश्यक्तानुसार उपयोग करें साथ ही त्रिनेत्र टूल्स पर समय–समय पर डाटा अपलोड करें। यह ऐप फेस रिकॉग्निशन तकनीक तथा वॉयस रिकॉग्निशन तकनीक से युक्त है अतः इसमे अधिक से अधिक गिरफ्तार अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों का आडियों, वीडियों, फोटो अपलोड किया जाये।
- **गोवध/गो–तस्करी** की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा गोवध के प्रकरणो में गम्भीरता से विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- गोवध के प्रकरणो में मास्टर माइंड, अर्गानाइज्ड टीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर मुख्य व्यक्तियों तक पहुँच कर उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- गम्भीर एवं जघन्य प्रवृत्ति के अपराधो यथा हत्या, लूट, डकैती आदि का अनावरण अतिशीघ्र कराया जाये तथा लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण कराया जाये साथ ही इस प्रकार के अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों में संलिप्त फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अधिक से अधिक पुरस्कार घोषित कर अविलम्ब गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
- गम्भीर प्रवृत्ति के अभियोग की विवेचना के दौरान **फारेन्सिक साक्ष्य संग्रह** कराते हुए निर्धारित समयावधि में विवेचना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा मा0 न्यायालय में अभियुक्तों को दण्डित कराने हेतु प्रभावी पैरवी की जाये।
- चैन स्नैचिंग के अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- पुलिस अधिकारीयों द्वारा जनशिकायतो को और अधिक गम्भीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
- मालखाना/सदर मालखाना में मालो का मिलान कर पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में अधिक से अधिक मालो का निस्तारण कराया जाये तथा ई–मालखाना की स्थापना व आधुनिकीकरण हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनायी जाये।
- आपराधिक घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण करते हुए शीघ्र विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गम्भीर/सनसनीखेज घटनाओं के **घटनास्थल का निरीक्षण** किया जाये।
- अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ओ0आर0 कर गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों **की समीक्षा कर विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण** कराया जाये।
- सभी अधिकारी नियमित रूप से परेड़ में सम्मलित हों तथा पुलिस लाइन्स के आवासिय परिसर, मोटर वाहन शाखा, पुलिस लाइन्स स्टोर की समीक्षा करें, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक स्वयं सभी राजपत्रित अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने पर कार्य करें।

- **'ऑपरेशन दृष्टि'** के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों/चौराहों/तिराहों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया जाये तथा पूर्व में व्यवस्थापित सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड किया जाये।
- माफियाओं एवं संगठित अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत पूर्व निर्गत निर्देशो के अनुसार प्रत्येक जनपद गम्भीर प्रवृत्ति के 20–20 अभियोगो को चिन्हित कर मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अभियोगो में अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- **सोशल मीडिया** के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- यातायात नियन्त्रण हेतु स्थानीय प्रशासन व नगर निगम आदि से अपेछित सहयोग प्राप्त कर दुर्घटनाओं में कमी लायी जाये। एनालाइजर, आईटीएमएस तथा तकनीकी उपकरणों की मदद से यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये। पीडब्लूडी, एनएचएआई तथा नगर विकास विभाग की संस्थाओं के साथ ब्लैक स्पाट, सड़क जाम के कारणो का निवारण कराया जाये।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक फायर/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090), पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीरपुर

●25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.06.2024 को थाना जहाँगीरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कपना नगर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहाँगीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज कुमार निवासी ग्राम अरावली हाइट्स द्वारकाधीश डी—7 जनपद रेवाड़ी हरियाणा।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

●15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.06.2024 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय निवासी भैसहा सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर।

जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज

• 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.06.2024 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाघनाथ तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कन्हैया को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कसया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कन्हैया निवासी सहोदर पट्टी थाना महुआडीह जनपद देवरिया।

———–